

बिहार सरकार  
परिवहन विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक:-

सं०सं०-०५/स्था०-(D.T.O.)-३०/२०१३ (खंड-II) /जिला पदाधिकारी, मधेपुरा  
के अनुरोध के आलोक में श्री संतोष कुमार, वरीय उप समाहर्ता, मधेपुरा को जिला परिवहन  
पदाधिकारी, मधेपुरा का अतिरिक्त प्रभार तत्काल के प्रभाव से प्रदान किया जाता है।

मोटर वाहन अधिनियम, १९८८ की धारा-२१३ (१) तथा बिहार मोटर वाहन करारोपण  
अधिनियम, १९९४ की धारा-३ का प्रयोग करते हुए श्री संतोष कुमार को जिला परिवहन पदाधिकारी  
एवं करारोपण पदाधिकारी, मधेपुरा की शक्तियाँ उनके प्रभार ग्रहण की तिथि से प्रदान की जाती  
है।

सं०सं०-०५/स्था०-(D.T.O.)-३०/२०१३ (खंड-II) /जिला पदाधिकारी,  
समस्तीपुर के अनुरोध के आलोक में श्री सौरभ कुमार, अपर जिला परिवहन पदाधिकारी, समस्तीपुर  
को जिला परिवहन पदाधिकारी, समस्तीपुर का अतिरिक्त प्रभार तत्काल के प्रभाव से प्रदान किया  
जाता है।

मोटर वाहन अधिनियम, १९८८ की धारा-२१३ (१) तथा बिहार मोटर वाहन करारोपण  
अधिनियम, १९९४ की धारा-३ का प्रयोग करते हुए श्री सौरभ कुमार को जिला परिवहन पदाधिकारी  
एवं करारोपण पदाधिकारी, समस्तीपुर की शक्तियाँ उनके प्रभार ग्रहण की तिथि से प्रदान की जाती  
है।

सं०सं०-०५/स्था०-(D.T.O.)-३०/२०१३ (खंड-II) /श्री शंकर शरण ओमी,  
जिला परिवहन पदाधिकारी, पूर्णियाँ को जिला परिवहन पदाधिकारी, किशनगंज का अतिरिक्त प्रभार  
तत्काल के प्रभाव से प्रदान किया जाता है।

मोटर वाहन अधिनियम, १९८८ की धारा-२१३ (१) तथा बिहार मोटर वाहन करारोपण  
अधिनियम, १९९४ की धारा-३ का प्रयोग करते हुए श्री शंकर शरण ओमी को जिला परिवहन  
पदाधिकारी एवं करारोपण पदाधिकारी, किशनगंज की शक्तियाँ उनके प्रभार ग्रहण की तिथि से  
प्रदान की जाती है।

सं०सं०-०५/स्था०-(D.T.O.)-३०/२०१३ (खंड-II) /श्री संजीव कुमार सज्जन,  
जिला परिवहन पदाधिकारी, सुपौल को जिला परिवहन पदाधिकारी, अररिया का अतिरिक्त प्रभार  
तत्काल के प्रभाव से प्रदान किया जाता है।

मोटर वाहन अधिनियम, १९८८ की धारा-२१३ (१) तथा बिहार मोटर वाहन करारोपण  
अधिनियम, १९९४ की धारा-३ का प्रयोग करते हुए श्री संजीव कुमार सज्जन को जिला परिवहन  
पदाधिकारी एवं करारोपण पदाधिकारी, सुपौल की शक्तियाँ उनके प्रभार ग्रहण की तिथि से प्रदान  
की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-


(प्रवीण कुमार)

सरकार के अपर सचिव  
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-05/स्था0-(DIO)-30/2013(खंड-II) 958/पटना, दिनांक 05/02/2026

प्रतिलिपि:-अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना (द्वारा संयुक्त सचिव, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना) को सी0डी0 सहित सूचनार्थ एवं राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित/महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव/मुख्य सचिव, बिहार के आप्त सचिव/प्रमंडलीय आयुक्त, पूर्णियाँ, दरभंगा एवं सहरसा/जिला पदाधिकारी, मधेपुरा, समस्तीपुर, किशनगंज एवं अररिया /संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पूर्णियाँ, दरभंगा एवं सहरसा/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, मधेपुरा, समस्तीपुर, किशनगंज एवं अररिया/माननीय मंत्री, परिवहन विभाग के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, परिवहन विभाग/राज्य परिवहन आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/विभाग के सभी पदाधिकारी/जिला परिवहन पदाधिकारी, मधेपुरा, समस्तीपुर, किशनगंज एवं अररिया/नव नियुक्त संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी, मधेपुरा, समस्तीपुर, किशनगंज एवं अररिया /मोटरयान निरीक्षक, मधेपुरा, समस्तीपुर, किशनगंज एवं अररिया /प्रवर्तन अवर निरीक्षक, मधेपुरा, समस्तीपुर, किशनगंज एवं अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. श्री रंजन कुमार सिंह, वरीय तकनीकी निदेशक, वैज्ञानिक-F, एन0आई0सी0 (NIC), बिहार, पटना से अनुरोध है कि निर्गत अधिसूचना में उल्लेखित जिला परिवहन पदाधिकारियों को कार्य हेतु वाहन/सारथी कार्य के लिए User ID/Password निर्गत करने की कृपा की जाय।

  
सरकार के अपर सचिव  
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।